उत्तर प्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1

संख्या-21/2018/2174/60-1-18-1/13(165)/17

लखनऊः दिनांक 07 सितम्बर, 2018

<u>कार्यालय आदेश</u>

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-3453/60-1-16-1/13(04)/16, दिनांक 14.12.2016 द्वारा बाल कल्याण समिति, औरैया का गठन किया गया। बाल कल्याण समिति के कार्यकलापों के संबंध में जिला प्रोबेशन अधिकारी, औरैया द्वारा नोटशीट पर साक्ष्य सहित आख्या जिलाधिकारी, औरैया को प्रस्तुत किये जाने के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी, औरैया द्वारा परीक्षण किया गया, उनके द्वारा समिति को बर्खास्त किये जाने का मत व्यक्त किया गया, के सन्दर्भ में जिलाधिकारी, औरैया द्वारा समिति को भंग करने की अनुशंसा उनके पत्र दिनांक 15.01.2018 द्वारा की गयी।

2- जिलाधिकारी, औरैया के पत्र दिनांक 15.01.2018 के सन्दर्भ में शासकीय पत्र संख्या-131/60-1-18-1/13(165)/17, दिनांक 13.03.2018 के द्वारा उन्हें निर्देशित किया गया कि कृपया प्रकरण में जॉच कमेटी गठित कर (जिसमें जिला प्रोबेशन अधिकारी को सम्मिलित न किया जाये) निष्पक्ष जॉच कराकर आख्या शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराये। उक्त निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी, औरैया द्वारा जिला कृषि अधिकारी, जिला विकास अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर, औरैया की त्रिसदस्यीय कमेटी गठित करके जॉच आख्या उन्हें उपलब्ध करायी गयी। उक्त आख्या के आधार पर बाल कल्याण समिति, औरैया को बर्खास्त किये जाने की अनुशंसा जिलाधिकारी, औरैया के पत्र संख्या-259/प्रो0का0/बाल कल्याण समिति/जॉच/2018-19, दिनांक 02.07.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी, जो निम्नवत् है :-

1. दिनांक 14.05.2015 को बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य जॉच समिति के समक्ष उपस्थित हुए जिसमें डा0 नरेन्द्र कुमार शर्मा अध्यक्ष श्रीमती गीतांजली गुप्ता सदस्य, श्री यतेन्द्र सिंह सदस्य एवं श्री निर्मल कुमार सदस्य ने अपना लिखित बयान प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त श्रीमती गीतांजली गुप्ता एवं श्री शशीमोहन द्वारा दि0 15.05.2018 को संयुक्त रूप से लिखित बयान प्रस्तुत किया गया।

2. डा0 नरेन्द्र कुमार शर्मा अध्यक्ष श्री यतेन्द्र सिंह सदस्य श्री निर्मल कुमार सदस्य द्वारा अपने लिखित बयान में लिखा है कि जिसका संक्षिप्त सार निम्नवत् है :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

श्रीमती गीतांजली गुप्ता सदस्य दिनांक 02.01.2017 दिन सोमवार को लगभग 12 बजे मध्यान्ह समिति कार्यालय में अपने पति श्री राजेश कुमार गुप्ता (कार्यरत रेशम विभाग इटावा) एवं बेटे के साथ उपस्थित हुए और आते ही बोली "सर यदि में न आ सकूँ तो मैं कानपुर से आवागमन करती हूँ मेरा दोनों जगह किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति में सलैक्शन हुआ है। इसीलिए मैंने बाल कल्याण समिति ज्वाइन किया है। मैंने अपने प्रत्युत्तर में कहा कि 11 बजे मैडम यदि आप आयेगी तो उपस्थिति होगी अन्यथा नही यदि मै भी न आ सकूँ तो चार सदस्य है मेरी उपस्थिति अंकित करें। दिनांक 18.02.2017 से दिनांक 26.02.2017 के मध्य श्री शशिमोहन अपनी आखों का इलाज करने के लिए हैदराबाद गये। ज्ञातव्य है कि उन्हे लिखने पढ़ने में असमर्थता रहती है उनको उक्त तिथियों में अनुपस्थित दर्शाया गया। उसके वापस आने पर दिनांक 27.02.2017 को श्रीमती गाताजंली गुप्ता बोली "वेचारे आंखो का इलाज कराने गये आपने उन्हे अनुपस्थित कर दिया क्या आपके जेब से पैसा जा रहा था। मानवता नही है बैठकें, घर में बैठकर हो जाया करती है। बारी बारी से सभी लोग 15-15 दिन में आये अपना अपना कार्य करे बाद में आकर हस्ताक्षर कर दिया करें। मैने कहा कि मैडम ये असंम्भव है। यदि घरो में बैठकर बैठके हो जाया करती तो ये फर्नीचर स्टेशनरी क्यो दी है। दिनांक 01.05.2017 से 05.05.2017 तक राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, कुर्सी रोड लखनऊ में सम्पादित प्रशिक्षण में श्री शशीमोहन द्वारा पूछे जाने पर कि क्या आने जाने का समय अंकित करना अनिवार्य है। बताया गया कि हॉ अनिवार्य है। परन्तु श्रीमती गीतांजली गुप्ता एवं श्री शशिमोहन ने कभी भी आने जाने का समय अंकित करना उपयुक्त नही समझा। दिनांक 05.05.2017 को श्रीमती गीतांजली गुप्ता ने मुझे व यतेन्द्र सिंह की अभद्र एवं आपत्तिजनक शब्दो का प्रयोग किया इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांॅगा तो उन्होंने लेने से इन्कार कर दिया। दिनांक 02.09.2017 को जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया जिसमें श्री शशीमोहन व श्रीमती गीतांजली गुप्ता की अनुपस्थिति अंकित किया, क्योकि इनका कहना है कि अध्यक्ष को अनुपस्थित करने का अधिकार नहीं है। जितने पैसे तुझे मिलते है उतने हमे मिलते है, हम सामाजिक कार्यकर्ता है, जब चाहेगे आयेगे जब चाहेगे जायेगे। श्रीमती गीताजंली गुप्ता द्वारा जिलाधिकारी महोदय के समक्ष दिनांक 26.05.2017 को हम लोगो पर धक्का मुक्की कर सीढियों पर गिरा देने गाली देने एवं 4-5 माह से गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया। सदस्य श्री शशीमोहन द्वारा धमकी देने एवं जिला परिवीक्षा कार्यालय में झूठा आरोप लगाने के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से जिला परिवीक्षा अधिकारी को अवगत कराया गया। दिनांक 03.08.2017 को श्री शशीमोहन सदस्य बाल कल्याण समिति द्वारा बिना किसी विनिश्चय के राजकीय बालगृह (शिशु), प्रयाग नारायण रोड, लखनऊ का अनाधिकृत व्यक्ति के साथ निरीक्षण किया गया। श्रीमती गीतांजली गुप्ता एवं श्री शशीमोहन द्वारा दिनांक 18.09.2017 से 20.09.2017 तक लखन वाटिका औरैया के आयोजित अन्त्योदन में मेले में स्टाल लगाया गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. श्रीमती गीतांजली गुप्ता एवं श्री शशीमोहन द्वारा दिनांक 01.11.2017 को धमकी देने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। बाल सुरक्षा एवं मैत्री अभियान आयोजन में बिना सूचना सम्मिलित होने की सूचना जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की गयी जिसमें श्री शशीमोहन व श्रीमती गीतांजली गुप्ता सम्मिलित हुये। शासनादेश सं0 36598/60-1-17-1/13 (152)/17 दिनांक 18.01.2017 के द्वारा जनपद इटावा की बाल कल्याण समिति को बर्खास्त करते हुए उसके कार्यो को निस्पादन हेतु बाल कल्याण समिति औरैया को निर्देशित किया गया है। जिसमें जिला परिवीक्षा अधिकारी/मजिस्ट्रेट औरैया की सहमति से प्रत्येक सोमवार व गुरुवार को दो सदस्य इटावा के कार्यो का निष्पादन करने श्री शशीमोहन व श्रीमती गीतांजली गुप्ता ने इटावा जाने से मना कर दिया गया। दिनांक 01.02.2018 के अध्यक्ष, श्री यतेन्द्र सिंह एवं श्री निर्मल कुमार कार्यो के निस्पादन हेतु इटावा गये थे उसी दिन श्री शशीमोहन कार्यालय में आये और अलमारी का ताला तोड़कर दो रजिस्टर बैठकों से सम्बन्धित कार्यवृत्त का ले गये जिसकी जिला परिवीक्षा अधिकारी की जॉच आख्या के आधार पर दिनांक 15.02.2018 को श्री शशीमोहन के नाम से प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना दिबियापुर में की गयी है। श्री शशीमोहन व श्रीमती गीतांजली गुप्ता द्वारा असंवैधानिक पत्राचार किया जाता है जिसका विवरण कार्यालय में उपलब्ध नही है। उक्त लिखित बयान के साथ साक्ष्य भी प्रस्तुत किये है।

4. श्रीमती गीतांजली गुप्ता सदस्य ने अपने लिखित बयान में लिखा है कि जिला प्रोबेशन अधिकारी के मौखिक निर्देशानुसार कि प्रोबेशन कार्यालय के ही डी0सी0पी0यू0 की महिलाओं के साथ बैठकर प्रकरणों का निस्तारण करेगी तथा उपस्थित रजिस्टर प्रोबेशन कार्यालय में मंगा लिया गया क्योंकि बाल कल्याण समिति का कार्यालय असुरक्षित स्थान पर था जिस पर 27 मई 2017 से सितम्बर 2017 तक हस्ताक्षर किए गये। इसके बाद तत्कालीन जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी से कक्ष आवंटन का मौखिक अनुरोध किया गया परन्तु कक्ष आवंटन नही हुआ। बाल कल्याण समिति के कार्यालय माह अक्टूबर 2017 में उपस्थिति रजिस्टर चला गया। पुनः अपना हस्ताक्षर फरवरी 2018 के बाद अध्यक्ष द्वारा उपस्थिति रजिस्टर अलमारी में रख दिया गया। जिसकी चाबी सिर्फ अध्यक्ष के पास रहती है। जिसके कारण कोई हस्ताक्षर नही किया गया। जिसकी सूचना प्रोबेशन अधिकारी को दी परन्तु अधिकारी स्वंय के प्रकरण (पायल बिछिया) के प्रकरणों में व्यस्त थे, इसके बाद वह सस्पेण्ड हो गये।

5. अतः वर्तमान प्रोबेशन अधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया जो बच्चे पकडे जाते है उन्हें बाल गृह में भेज दिया जाता है। श्रम विभाग द्वारा चलाये गये अभियान के अतिरिक्त 08 बच्चें ही समिति द्वारा प्रकरण निस्तारित किए गये।

6. गीतांजली गुप्ता एंव श्री शशीमोहन सदस्य द्वारा संयुक्त रूप से लिखित अपने बयान में कहा है कि समिति के कार्यालय में पांॅचो सदस्यों/अध्यक्ष सहित) कोई भी अतिरिक्त कर्मचारी नही है अतः कार्यालय खोलने व बन्द करने का कार्य अध्यक्ष जी ही करते है तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यालय की चाबी भी स्वंय के पास रखते है। महोदय यह बताते हुये हमे अत्यन्त खेद हो रहा है कि समिति कार्यालय यदा कदा ही खोला जाता है, तथा सप्ताह के किसी एक दिन तीनो सदस्य (अध्यक्ष) सहित उपस्थित व कार्यवाही रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर लेते है जब हम सदस्यो द्वारा इस बात का विरोध किया गया तब से तीनों सदस्यों ने गुटवाजी कर ली तथा उच्च अधिकारियों से हमारी झूठी शिकायत करने लगे तथा किशोर न्याय अधिनियम का गलत व्याख्या कर सरकारी संसाधनो का दुरपयोग कर रहे है, केवल पत्र लिखना ही पुख्ता सबूत नही हो सकता कृपया अध्यक्ष दारा सबूत भी मांगे जाए।

7. हम सदस्यो द्वारा किये गया कोई भी कार्य किशोर न्याय (बालको की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2015 के विपरीत नही किया गया है सारे कार्य एक्ट के अनुरूप ही "बालक के सर्वोत्तम हित" को ध्यान में रखकर ही किया गया है महोदय हमारे द्वारा किये गये किसी भी सामाजिक कार्य में उक्त तीनो सदस्यो द्वारा कोई सहयोग नही किया जाता है, महोदय तीनों सदस्यो का एक मात्र उददेश्य रजिस्टर में हस्ताक्षर कर मानेदय बनाना है।

8. यह बताना भी अति आवश्यक है कि दिनांक 01.03.2017 को भिण्ड किशोर पुलिस इकाई द्वारा एक मानसिक निशक्त बालक गोपाल (विनोद) नाम का बालक प्रस्तुत किया गया था जिसको अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 05.03.2018 दिन रविवार को प्रायः 07 बजे ही उसके फर्जी पिता को सौप दिया गया जबकि अधिनियम की धारा 28 की उपधारा 5 (1) उपबन्धो के अधीन रहते हुये समिति, समिति के किसी सदस्य के अनुपस्थिति रहते हुये भी कार्यवाही कर सकेगी और केवल किसी सदस्य की अनुपस्थिति के आधार पर अविधिमान्य नही होगा। परन्तु मामले के अन्तिम निपटान के समय कम से कम तीन सदस्य उपस्थित होगे अतः अध्यक्ष जी ने स्वतः ही नियमो का उलंधन किया है।

9. अध्यक्ष महोदय ने स्वतः ही अधिनियम के अधीन निहित शक्तियों का दुरपयोग किया है।

अध्यक्ष द्वारा दिये जाने वाली मासिक सूचना रिपोर्ट के अनुसार हर माह कार्यों की संख्या का विवरण छप्स् दी गई है, संलग्न (छायाप्रति) अतः अध्यक्ष व सम्मानित सदस्यो से पूछा जाये की पूरे 18 महीनो के दौरान कितने बच्चो के प्रकरण का निस्तारण सदस्यों द्वारा किया गया है रिपोर्ट में छप्स् क्यां दिखाया गया है, तथा हम सदस्यो की बैठकां की संख्या भी माह के अनुसार ही दिखाई गई है, परन्तु हम दोनां सदस्यो मानदेय का जिला प्राबेशन द्वारा नही दिया गया है।

अध्यक्ष/सदस्यां के उल्लखित बयान एवं अभिलेखों के अधार पर आख्या निम्नवत् है :-

1. श्रीमती गीतांजली गुप्ता सदस्य द्वारा बाल कल्याण के डा0 नरेन्द्र कुमार शर्मा अध्यक्ष एवं श्री यतेन्द्र सिंह सदस्य के विरूध अभद्र व्यवहार एवं धक्का मुक्की किए जाने के सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय के समक्ष दिनांक 27.05.2018 को प्रस्तुत किया।

उक्त प्रार्थना पत्र की जॉच तत्कालीन श्री विनीत कुमार तिवारी जिला प्रोबेशन अधिकारी औरैया द्वारा की गयी जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि श्रीमती गीतांजली गुप्ता द्वारा दिनांक 27.12.2016 को कार्यभार ग्रहण किया तथा दिनांक 02.01.2017 से बाल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कल्याण समिति की बैठकों में प्रतिभाग करना प्रारम्भ किया। उक्त सदस्य द्वारा पूर्व में अध्यक्ष/सदस्य के विरूद्ध कोई भी लिखित व मौखिक शिकायत नही की गयी। जॉच में परिलक्षित होता है कि समिति के सभी सदस्यो द्वारा उपस्थिति दर्ज को लेकर अनियमतापूर्ण से अंकन किया जा रहा है। बाल कल्याण के समीप चकबन्दी कार्यालय में कार्यालयीय समय के दौरान अनेक ग्रामीण व्यक्तियों का आवागमन रहता है। कार्यालय के लिपिक व अन्य लोगो द्वारा सुश्री गीतांजली गुप्ता के साथ समिति के अध्यक्ष व सदस्य द्वारा अभद्र आचरण किये जाने की पुष्टि नही की गयी है।

2. उक्त श्रीमती गीतांजली गुप्ता द्वारा शिकायत करने के उपरान्त तत्कालीन जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा उपस्थिति रजिस्टर प्रोबेशन कार्यालय में रखा लिया गया वही सभी के हस्ताक्षर करने हेतु मौखिक रूप से निर्देशित किया गया होगा जैसा कि श्रीमती गीतांजली गुप्ता ने अपने लिखित बयान में कहा है। ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे।

3. माह सितम्बर 2017 में तत्कालीन जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी महोदय से वार्ता उपरान्त मुख्य विकास अधिकारी औरैया को काउसलिंग करने हेतु निर्देशित किया गया। 30 सितम्बर 2017 को काउसलिंग कराई गई जिसमें मुख्य विकास अधिकारी द्वारा विभिन्न पहलुओ को संज्ञान में लेते हुए समिति के निर्देश दिए कि वे शासन के प्रावधानो के अनुसार आचरण व क्रिया कलापों में सुधार लाये। बाल कल्याण समिति को सुचारू रूप से संचालित किया जाये। अक्टूबर माह में मुख्य विकास अधिकारी के औचक निरीक्षण में उपस्थित एवं समिति के क्रिया कलापो में कोई सुधार नही हुआ। तथा मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि समिति को निरस्त/भंग करने हेतु पत्रावली प्रस्तुत करें।

4. धारा 28(2) के अनुसार समिति द्वारा किसी विधमान देखभाल संस्था का/उसने कार्मकरण की जॉच पड़ताल करने और बालको की भलाई के लिए किया गया दौरा समिति की बैठक के रूप में माना जायेगा अर्थात समिति को दौरा करने का अधिकार है न कि एकल सदस्य/अध्यक्ष को उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 03.08.2017 को समिति के सदस्य श्री शशीमोहन द्वारा राजकीय बालगृह (शिशु) प्रयाग रोड लखनऊ का निरीक्षण एवं निरूद्ध बालिकाओं से मिलने का उल्लेख किया गया जिसके सम्बन्ध में अध्यक्ष व अन्य दो सदस्यों ने लिखित रूप में पत्र सं0 42-49 दिनांक 23.08.2017 द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी को अवगत कराया गया।

निष्कर्ष- धारा 28(2) के अन्तर्गत समिति को संस्था का दौरा करने का अधिकार है न कि एकल सदस्य को जिसका श्री शशीमोहन सदस्य द्वारा उल्लधंन किया गया।

5. दिनांक 16.02.2017 के समिति के दो सदस्य श्रीमती गीतांजली गुप्ता एंव श्री शशीमोहन द्वारा दशमेष सेवा संस्थान द्वारा चलाए जा रहे अस्थाई बालगृह का निरीक्षण किया गया जिसकी उनके किए गये निरीक्षण की प्रति उपलब्ध कराई गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निष्कर्ष- उक्त सदस्यो द्वारा धारा 28(2) का खुला उल्लंघन किया गया।

6. समिति के श्री शशीमोहन, श्रीमती गीतांजली गुप्ता द्वारा किए गये कार्यो का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार उन्होंने निम्न कार्यक्रमो में भाग लिया जोकि समिति की कार्यों के श्रेणी में आता है।

अ- गंगाराम बालिका इण्टर कॉलेज में बालिकाओं को जागरूक करना।

ब- नारी चेतना यात्रा में प्रतिभाग करना।

स- दर्शन महाविद्यालय में महिला सुरक्षा एवं जागरूकता करना।

द- लखन वाटिका में बालको को जागरूक करना।

य- बालको के घर जाकर उनके शौचालय आदि के लिए जिलाधिकारी महोदय को जनता दर्शन में पत्र प्रस्तुत करना।

उपरोक्त उपलब्ध कराये गये कार्यो की फोटो प्रति से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त दोनों सदस्य अपने स्वेच्छा से किसी भी कार्यक्रम में प्रतिभाग करते है जब कि समिति का अर्थ है सभी अध्यक्ष/सदस्यो की सहमत से बालको के हित में जो कार्य हो किए जाये। जिसका समिति में अभाव है।

7. शासनादेश सं0 3698/60-1-17-1/13(152)/17 दिनांक 18.12.2017 द्वारा बाल कल्याण समिति इटावा को वर्खास्त करते हुए उक्त कार्यो के निष्पादन हेतु बाल कल्याण समिति औरैया को निर्देशित किया था। जिसके क्रम मे अध्यक्ष बाल कल्याण समिति ने अपने पत्र सं0 141-46 दिनांक 17.01.2018 द्वारा श्री निर्मल कुमार एवं श्री शशीमोहन को बाल कल्याण समिति इटावा के कार्यों का निष्पादन करने हेतु सप्ताह में सोमवार व गुरूवार को इटावा में रहने हेतु पत्र लिखा गया परन्तु श्री शशिमोहन द्वारा बाल कल्याण समिति के कार्यों का निष्पादन करने में रूचि नही ली जा रही है जोकि शासन के आदेशो का खुला उल्लंघन है।

8. समिति के अध्यक्ष/सदस्य दो गुटो में बटे हुए है जिसके कारण बाल कल्याण समिति के उददेश्यों की पूर्ति नही हो पा रही है। समिति द्वारा एक तरफ अध्यक्ष एवं दो सदस्यो द्वारा पत्र/आदेश जारी किए जाते है तो दूसरी तरफ दो सदस्यों द्वारा पत्र/आदेश जारी कर दिया जाता है।

<u>उदाहरणार्थ :-</u>

1. थानाध्यक्ष दिबियापुर को समिति के दो सदस्य श्रीमती गीतांजली गुप्ता एवं शशीमोहन द्वारा आदेश सं0 मेमो0 दिनांक रहित जारी किया गया है जिसमें बालिका लक्ष्मी उम्र लगभग 11 वर्ष को राजकीय बालिका गृह लाला लाजपत राय चिकित्सालय के सामने स्वरूपनगर कानपुर नगर को जिला प्रोबेशन कार्यालय विकास भवन ककोर में उपस्थित करने हेतु आदेशित किया गया है।

2. समिति के दो सदस्य श्रीमती गीतांजली गुप्ता एवं श्री शशीमोहन सदस्य द्वारा अधीक्षक राजकीय बालगृह बालक स्वरूपनगर कानपुर के पत्र सं0 002 दिनांक रहित द्वारा कु0 लक्ष्मी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

को बाल कल्याण अधिकारी थाना दिबियापुर की अभिरक्षा में बाल कल्याण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

समिति के दो सदस्यो श्रीमती गीतांजली गुप्ता एवं श्री शशीमोहन सदस्य द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी औरैया के पत्र सं0 004-7 दिनांक 19.04.2018 द्वारा परिषदीय व जूनियर हाईस्कूल विद्यालय में पेयजल मिड डे मील व सफाई आदि की व्यवस्था करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

समिति के अध्यक्ष डा0 नरेन्द्र कुमार शर्मा व अन्य दो सदस्यो द्वारा प्रेषित पत्राचार।

1. बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष डा0 नरेन्द्र कुमार शर्मा, श्री यतेन्द्र सिंह श्री निर्मल कुमार द्वारा जी0आर0पी0 चौकी फफूँद, औरैया के अज्ञात बालिका के सम्बन्ध में बालिका को सुभाष चिल्ड्रेन बालगृह 19 राजीव विहार पशुपति विहार नौवस्ता कानपुर नगर में अधीक्षिका को प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।
2. समिति के अध्यक्ष डा0 नरेन्द्र कुमार शर्मा, श्री यतेन्द्र सिंह सदस्य, श्री निर्मल कुमार द्वारा अधीक्षिका/अधीक्षका सुभाष चिल्ड्रेन होम नगर कानपुर नगर के पत्र सं0 सी-165 दिनांक 19.03.2018 द्वारा नवजात बालक नमन के सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध करने हेतु पत्र दिनांक 04.04.2018 द्वारा जी0आर0पी0 चौकी फफूँद को पत्र प्रेषित किया।
3. समिति के अध्यक्ष/दो सदस्यो द्वारा काजल पुत्री सन्तोष कुमार निवासी नई वस्ती इन्द्रानगर भटठा वस्ती दिबियापुर औरैया की कु0 लक्ष्मी को मुक्त कराने हेतु बाल कल्याण समिति के कार्यालय में उपस्थित होने के लिए पत्र सं0 201-206 दिनांक 20.04.2018 के द्वारा पत्र प्रेषि किया गया।

उपरोक्त पत्रो के पत्राचार से ऐसा विदित होता है कि जनपद औरैया में बाल कल्याण समिति दो भागो में विभाजित है जिसमें अध्यक्ष व 02 सदस्य एक तरफ तथा 02 सदस्य दूसरी तरफ है तथा दोनो पक्षो द्वारा पत्राचार किया जा रहा है। जोकि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम 2016 के नियम 19 (15) के अनुसार समिति एक निकाय के रूप में तालमेल पूर्व ढंग से कार्य करेगी और इस लिए अपनी कोई उपसमिति गठित नही करेगी का खुला उल्लघन किया जा रहा है।

बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यां के बीच उपस्थित एवं बैठको को लेकर विवाद है जिसके फलस्वरूप दिनांक 1.02.2018 के बाल कल्याण समिति के कार्यालय का ताला खोलकर उसमें रखी अलमारी का ताला तोड़कर समिति की बैठकों के दो रजिस्टर गायब कर दिये गये जिसकी जॉच तत्कालीन जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा की गयी जिसके अनुसार कार्यालय के समीप (वगल में) चकबन्दी कार्यालय में तैनात श्रीमती मीरादेवी पेशकर द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 01.02.2018 के बाल कल्याण समिति के कार्यालय में श्री शशीमोहन सदस्य आये थे उनके द्वारा कार्यालय के दरवाजे का ताला खोला गया और कार्यालय के अन्दर गये। श्रीमती मीरा देवी से प्राप्त जानकारी के आधार पर शशीमोहन सदस्य कार्यालय में आये और अलमारी का ताला तोड़कर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उसमें रखे रजिस्टर गायब कर दिये। जिनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना दिबियापुर में अपराध सं0 136 दिनांक 5.02.2018 के द्वारा की गयी।

बाल कल्याण समिति के अभिलेखों का गायब करना इस ओर इंगित करता है कि श्री शशीमोहन सदस्य द्वारा बैठकां में प्रतिभाग नही किया जाता है तथा मानदेय न मिलने की अशंका से अलमारी का ताला तोड़कर रजिस्टर गायब कर दिये गये जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है।

जॉच समिति द्वारा बाल कल्याण समिति की उपस्थिति रजिस्टर का अवलोकन किया गया जिसमें माह जनवरी 2018 में श्रीमती गीतांजली गुप्ता 09 दिवस, फरवरी 2018 में 15 दिवस, मार्च 2018 में 02, दिवस, अप्रैल व मई 18 में उपस्थित रजिस्टर पर कोई हस्ताक्षर नही है और न ही बैठक रजिस्टर मे कोई हस्ताक्षर है। श्री शशीमोहन द्वारा माह जनवरी 2018 में 15 दिवस, फरवरी 2018 में 11 दिवस, मार्च 2018 में 14 दिवस, व अप्रैल व मई 2018 मे कोई हस्ताक्षर उपस्थित पंजिका में नही है।

जॉच समिति द्वारा बैठको के रजिस्टर का अवलोकन किया गया जिसमें फरवरी 2018 से 14 मई 2018 तक का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 05.02.2018 की बैठक कार्यवृत्ति में श्री शशीमोहन द्वारा कार्यालय की चाबी समिति के अध्यक्ष को सौपे जाने एवं गीतांजली गुप्ता ने बैठक का कोई एजेण्डा नही है बालहित से सम्बन्धित कोई चर्चा नही हुई है नोट अंकित किया गया है। अन्य किसी बैठक में कोई टिप्पणी अंकित नही है और न ही दोनों सदस्यो के हस्ताक्षर है।

निष्कर्ष -

उपरोक्त बयान एवं अभिलेखों के आधार पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यो के बीच आपसी तालमेल का अभाव है। एक तरफ अध्यक्ष एवं दो सदस्य है तथा दूसरी तरफ दो सदस्य है। समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने आपको सभी सर्वोपरि मानते है जो कि एक समिति की श्रेणी मे नही आता है समिति का अर्थ है कि जो भी निर्णय लिए जाये वह आम सहमति से हो न कि अलग अलग आदेश/पत्र जारी कर निर्णय लिए। बाल कल्याण समिति में अपने कार्यों में कम एक दूसरे की शिकायत में ज्यादा रूचि रखते है, समिति की गतिविधियां सन्तोषजनक नही है।

अतः जॉच समिति इस निष्कर्ष में पहुंचती है कि बाल कल्याण समिति को वर्खास्त (भंग) किया जाना उचित होगा अन्यथा कोई अप्रिय घटना घट सकती है, समिति को वर्खास्त (भंग) किए जाने की संस्तुति की जाती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जॉच समिति की रिपोर्ट के आधार पर बाल कल्याण समिति, औरया के अध्यक्ष व समस्त सदस्यों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा-28 (2) एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम-19 (15) में अंकित प्राविधानों का अनुपालन न किये जाने के परिणामस्वरूप तत्काल प्रभाव से उक्त समिति को बर्खास्त करते हुये, बाल कल्याण समिति, औरया को भंग किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-21/2018/2174(1)/60-1-18, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिलाधिकारी, औरेया।
2- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, औरेया।
4- संबंधित उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी।
5- जिला परिवीक्षा अधिकारी, औरेया।
6- संबंधित अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति, औरेया।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।